-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों के मामलों में त्वरित सजा दिलाए जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत दुष्कर्म मामले में आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में **मिशन शक्ति अभियान** के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों के मामले में अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 13.03.2020 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ अभियुक्त विवेक पुत्र जगाती निवासी शम्भू नगर थाना कोतवाली नगर द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस सम्बन्ध में पीड़िता की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर धारा 376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन **क्षेत्राधिकारी नगर श्री आलोक मिश्रा** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री कमल सिंह गौतम** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **विवेक पुत्र जगाती निवासी शम्भू नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।**

लोक अभियोजक
श्री कमल सिंह गौतम

विवेचक
पु0उपा0 श्री आलोक मिश्रा

कोर्ट मोहर्रर
कां0 जितेन्द्र कुमार

पैरोकार
कां0 सुजीत